an>

Title: Regarding water sharing of the waters of dams made in Jharkhand.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, 19 जुलाई, 1978 को बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच जो नदी जल का बंटवारा हुआ, जो समझौता हुआ, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर आकृÂट करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ, संथाल परगना, वहां दुमका में मसानजोड़ डैम है, जो मयुराक्षी नदी पर है। उसकी जो पूरा जमीन है, जिस पर यह डैम बना है, वह झारखण्ड में है। क्योंकि वह उस वक्त बिहार का पार्ट था, लेकिन उसका जो पानी है, वह पानी हमारे राज्य को नहीं मिलता है। पीने का जो पानी दुमका जिले को मिलना है, उसमें भी पश्चिम बंगाल सरकार हमेशा रोड़ा अटकाती है। जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ का पानी पूरे दुमका जिले को डुबो देता है।

सभापति महोदय, 19 जुलाई 1978 का, जो समझौता है, यह केवल मयुराक्षी नदी का नहीं है या केवल मसानजोड़ डैम का नहीं है, पंचैत है या मैथन डैम है, ये सारे डैम आपको आश्चर्य होगा कि सब झारखण्ड की धरती पर बने हैं, लेकिन इसके सिंचाई का कोई भी साधन जो है, वह झारखंड की सरकार को नहीं मिलता है। उसी तरह से अजय बेसिन है, जो कि मेरे इलाके देवघर में है। जहां हम लोग पुनासी डैम बना रहे हैं, अजय डैम बनना है या वहां बुढ़ैयी डैम बनना है, पुनासी डैम बनना है, इसका जो पानी है, वॉटर का जो सोर्स है, पश्चिम बंगाल सरकार कहीं न कहीं इस डैम को बनने में भी रोड़ा अटकाती है। मैं आपके माध्यम से इस सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह 1978 का समझौता है, 37 साल हो गए हैं, इस समझौते को रिव्यू किया जाए और झारखण्ड के हिस्से का जो पानी है, झारखण्ड के जो विस्थापन का पानी है, झारखण्ड के किसानों को जो पानी चाहिए, झारखण्ड के लोग जो बाढ़ और सुखाड़ से दोनों तरफ जूझते हैं, उनके साथ न्याय कर के इस फैसले को पुनः पुनर्जीवित किया जाए।